

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 3964/2016
 UPFD010096842016
 राज्य बनाम राजीव गौड़
 मु०अ०सं०-969/2016,
 धारा- 323,376,504,427 भा०द०सं०,
 व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 थाना- उत्तर, जिला-फिरोजाबाद



UPFD010096842016

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद

उपस्थितइफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193

विशेष सत्र वाद सं० 3964/2016

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

राजीव गौड़ पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश गौड़, निवासी- सैक्टर नं० 1
 सुहागनगर हिमायूपुर, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद।

.....अभियुक्त।

धारा- 323,376,504,
 506,427 भा०द०सं० व
 धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी०एक्ट
 थाना- उत्तर, जिला- फिरोजाबाद।
 मु०अ० सं०- 969/2016

निर्णय

- उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 969/2016 में अभियुक्त **राजीव गौड़** के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र **प्रदर्शक-8** अंतर्गत धारा 323, 376, 504, 506, 427 भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी०एक्ट के आधार पर संस्थित होकर किया गया।
- प्रस्तुत प्रकरण चूंकि धारा 376 भा०द०सं० से सम्बन्धित है, अस्तु 'पीड़िता' का नाम विधिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए गुप्त रखा गया और उसे निर्णय में '**पीड़िता**' शब्द से सम्बोधित किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी /पीड़िता (Informant) निवासी बर्फखाना चौराहा शिवाजी मार्ग, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद ने वरिष्ठ पुलिक अधीक्षक, फिरोजाबाद को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांकित 20-07-2016 प्रदर्शक-1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि-

"निवेदन यह है कि प्रार्थिया अनुसूचित जाति जाटव तलाकशुदा महिला है। प्रार्थिया के मौहल्ले के ही राजीव गौड़ उर्फ पिकी पुत्र नामालूम जो अशोक ठाकुर निवासी भर्फखाना चौराहा शिवाजी मार्ग थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद के मकान में अपनी माँ व भाई के साथ किराये पर रहता है, लेकिन वर्तमान समय में सैक्टर 1 सुहाग नगर हिमायूपुर चौराहा पंकज यादव के मकान थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद में रह रहा है, ने प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाकर करीब चार साल से लगातार बलात्कार करता चला आ रहा है। जब प्रार्थिया को इस बात की जानकारी हुई है कि उक्त पिकी शादीशुदा है तब उसने ऐसा करने से मना किया लेकिन उक्त पिकी प्रार्थिया को भरोसा देता रहा है कि तुझे मैं अपने घर में ही अपने साथ बतौर पत्नी रखूंगा और धोखा नहीं दूंगा लेकिन इस बात को अभी मेरी पत्नी को तथा मेरे घर वालों को मत बताना यदि तूने बता दिया तो तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा और जान से मार दूंगा। घटना दिनांक 17-07-16 को समय करीब सांय 06.00 बजे की है कि उक्त पिकी ने अपने मोबाइल नं० 9536990880 से प्रार्थिया के मोबाइल नं० 9456240422 पर फोन करके अपने घर बुलाया जब प्रार्थिया उसके घर पहुंची तो वहां पर उसकी पत्नी सरिता गौड़ भी मिली और सरिता गौड़ को प्रार्थिया ने सारी बातें बताना चाहा इसी बात पर उक्त पिकी ने प्रार्थिया को पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया तथा माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए थप्पड़, लात, घूंसे से मारापीटा तथा दोनों लोगों ने मिलकर प्रार्थिया का गला दबा कर जान से मारने की कोशिश की तथा धमकी दे रहे थे कि साली चमरिया तू हमारा क्या कर लेगी और यदि कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। मारपीट के समय प्रार्थिया का चश्मा भी टूट गया था और शरीर में अन्दरूनी चोटें आयी तथा नील के भी निशान है तथा काफी दर्द है। प्रार्थिया घटना की रिपोर्ट करने के

लिये थाने जा रही थी तो उक्त लोगों ने प्रार्थिया का रास्ता रोक लिया। आज दिनांक 20-07-16 को समय करीब 12.00 बजे दिन पिकी व उसका भाई बबलू व विजय तीनों लोग मिलकर प्रार्थिया के घर पर आये और धमकी दे रहे थे कि यदि तूने हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट की तो तेरी हत्या कर देंगे। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उपरोक्त लोगों के धमकी की वजह से प्रार्थिया काफी भयभीत व डरी हुयी है। किसी तरह छिपकर प्रार्थिया घटना की रिपोर्ट करने के लिए श्रीमान जी के समक्ष आयी है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिया की डाक्टरी कराकर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा दर्द कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना उत्तर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 969/2016 अंतर्गत धारा 323,376,427,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(XII) एस०सी०/एस०टी० एक्ट प्रदर्श क-3 दिनांक 25-07-2016 को समय 10.00 बजे पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (GD) में तत्क्षण समय 10.00 बजे की गयी तथा विवेचना विवेचक को हस्तगत की गयी एवं तत्पश्चात विवेचना अग्रसारित की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए, साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 तैयार किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर मात्र अभियुक्त राजीव गौड़ के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-8 प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्त को आरोप के बिन्दु पर सुना गया तथा पर्याप्त आधार पाते हुए अभियुक्त राजीव गौड़ के विरुद्ध दिनांक 10-08-2017 को आरोप अन्तर्गत धारा 323,376,504,506,427 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 376 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने प्रश्न में महिला से लैंगिक संभोग किया;
- (ii) यह कि ऐसा कार्य धारा 375 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया गया;
- (iii) यह कि प्रवेशन हुआ था।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

धारा 427 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि प्रश्न में चीज सम्पत्ति थी,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसी सम्पत्ति का नाश किया या ऐसी सम्पत्ति या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली किया, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो गयी।
- (iii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा इस आशय से या संभाव्य जानते हुए किया वह तद्द्वारा लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या नुकसान कारित करेगा,
- (iv) यह कि ऐसी हानि या नुकसान सदोष था, एवं
- (v) यह कि ऐसी हानि या नुकसान कम से कम रूपया 50 की रकम का था।

धारा 3(2)v अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-

(v) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है।) वह आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।

6. आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 पीड़िता	वादिनी/'पीड़िता' (Informant)
2	PW-2 सी०सी० गौतम शर्मा	चिक लेखक

3	PW- 3 डा० श्रीमती नीता गुप्ता	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
4	PW- 4 ओमकार यादव	विवेचक
5	PW- 5 डा० साधना राठौर	रेडियोललाजिस्ट

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	बयान "'पीड़िता"' धारा 164 द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 2
3	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 3
4	नकल रोजनामचा आम (G.D.)	प्रदर्श क- 4
5	मेडिकल रिपोर्ट "'पीड़िता"'	प्रदर्श क- 5
6	पूरक मेडिकल रिपोर्ट "'पीड़िता"'	प्रदर्श क- 6
7	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 7
8	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 8
9	अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट	प्रदर्श क- 9

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्त ने घटना को झूठा बताया तथा साक्षियों द्वारा झूठा साक्ष्य देने का कथन किया गया।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 1 पीड़िता को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 17-07-16 को शाम करीब 06.00 बजे की थी। अभियुक्त राजीव गौड़ उर्फ पिंकी ने मुझे मोबाइल नं० 9536990880 से मेरे मोबाइल नं० 9456240402 पर फोन करके अपने घर बुलाया था। अभियुक्त पिंकी मेरे मौहल्ले में अशोक ठाकुर के मकान में किराये पर रहता था। उसने शादी का झाँसा देकर मेरे साथ

करीब चार साल तक शरीरिक सम्बन्ध बलात्कार करता रहा था तथा अपने आपको अविवाहित बताकर मुझसे शादी करने की बात कहता रहा। मुझे जब पता चला कि पिकी उर्फ राजीव गौड़ पहले से शादीशुदा है तब मुझसे पिकी उर्फ राजीव ने किसी को बताने से मना किया तथा मुझे भरोसा देता रहा कि मैं तुझे ही अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखूंगा अगर तुमने किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। इसी वजह से अभियुक्त पिकी ने मुझे दिनांक 17-07-16 को अपने घर बुलाया था। मैं जब उसके घर पहुंची तो उसकी पत्नी सरिता गौड़ मिली। मैंने उसे सारी बात बतानी चाही तभी मुझे पिकी उर्फ राजीव ने पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया तथा माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए लात, घूसों से मारा तथा जाति सूचक गालियां देते हुये कहा कि साली चमरिया तू हमारा क्या कर लेगी। मारपीट से मेरे शरीर में चोटे आयी। मेरा चश्मा टूट गया था। मैं उस दिन रिपोर्ट लिखाने जा रही थी तो मुल्जिमानों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। मेरे साथ पिकी उर्फ राजीव व सरिता दोनों ने मारपीट की तथा गालियां व जाति सूचक शब्द घटना के समय कहे थे। तब मैं दिनांक 20-07-16 को दिने के बारह बजे अभियुक्त पिकी उसका भाई बबलू तीनों लोग मेरे घर आये और धमकी दी कि तूने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हम तुझे व तेरी बेटी को जान से मार देंगे तथा जाति सूचक गालियां दी कि साली चमरिया तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैंने उसी दिन दिनांक 20-07-16 को एस०पी० महोदय को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की थी। जो प्रार्थना पत्र एस०एस०पी० महोदय को दिया था वह पत्रावली पर कागज सं० 3 अ/3 है, जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। दिनांक 01-08-16 को पुलिस ने मेरा बयान लिया था तथा दिनांक 10-08-16 को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष मेरा बयान हुआ था। सीलबन्द लिफाफा माननीय न्यायालय के आदेश से खोला गया तथा गवाह को धारा 164 द०प्र०सं० का बयान खोलकर पढकर सुनाया गया तथा दिखाय गया तो गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए बयानों की पुष्टि की, इस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। मेरी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ था तथा अल्ट्रासाउण्ड भी हुआ था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 सी०सी० 441 गौतम शर्मा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"दिनांक 25-07-16 को मैं थाना उत्तर में बतौर CC/TNS के पद पर तैनात था। उस दिन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फिरोजाबाद के आदेश से वादिया/पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं० 969/2016, धारा 323,376,427,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (XII) एस०सी० एस०टी० एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। जिसकी चिक एफ०आई०आर० CC/TNS अजय शर्मा के बोलने पर मैंने कम्प्यूटर पर टाइप की थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 लगायत 3 अ/3 चिक एफ०आई०आर० को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही चिक एफ०आई०आर० है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप की गयी थी, जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। जिसका खुलासा मैंने उसी दिन **रपट नं० 20** समय 10.00 बजे रोजनामचाआम में किया था। असल जी०डी० मैं आज साथ लेकर आया हूँ जिससे मिलान कर पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 9 अ/3 नकल जी०डी० को प्रमाणित करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। चिक एफ०आई०आर० पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 डा० श्रीमती नीता गुप्ता को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 25-07-2016 को जिला महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक के पद पर तैनात थी। उस दिन मैंने पीड़िता पुत्री वेदप्रकाश का चिकित्सीय परीक्षण किया था। पीड़िता को सी०सी० 630 मंजू थाना उत्तर द्वारा लाया गया था। पीड़िता अपने होशो हवाश में थी। पीड़िता की लम्बाई 48 से०मी०, वजन 50 किलोग्राम था। गुप्तांगों पर बाल मौजूद थे। स्तन विकसित था। **कपडे बदलकर आयी थी। शरीर पर चोट के निशान नहीं थे।**

आन्तरिक परीक्षण- हाइमन पुरानी टूटी हुई थी। episiotomy scar मौजूद था। अन्य किसी भी चोट के निशान नहीं थे। वैजाइनल स्मीयर

बनाकर शुक्राणु हेतु पैथोलाजी में भेजा गया था। बच्चेदानी की स्थिति जानने के लिये अल्ट्रासाउण्ड के लिये पीड़िता को भेजा गया था।

पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6 अ/1 लगायत 6 अ/7 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करती हूँ। इस पर **प्रदर्शक-5** अंकित किया गया। पीड़िता की पूरक रिपोर्ट मैंने दिनांक 28-07-16 को जिला महिला चिकित्सालय में तैयार की थी। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार संख्या नं० 402/2016 दिनांक 26-07-16 के अनुसार बच्चादानी सामान्य थी। पैथोलाजी रिपोर्ट सं० 1,2,3/26-07-16 के अनुसार शुक्राणु नहीं पाये गये थे। मेरी राय में बलात्कार के बारे में कोई भी राय नहीं दी जा सकती है। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6 अ/12 लगायत 6 अ/3 पूरक रिपोर्ट है, जो मेरे द्वारा तैयार की गयी है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। इस पर **प्रदर्शक-6** अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 4 ओमकार यादव को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 26-07-16 को क्षेत्राधिकारी नगर के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 969/16 धारा 323,376,427,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)12 एस०सी० एस०टी० एक्ट थाना उत्तर बनाम राजीव गौड़ आदि चार नफर की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। मैंने नकल चिक, नकल रपट, बयान का० क्लर्क गौतम शर्मा अंकित किये। लिपिकीय त्रुटि से अंकित धारा 3(1)12 एस०सी०एस०टी० एक्ट समाप्त किया व धारा 3(1)W2 एस०सी०एस०टी० एक्ट का इजाफा किया। डाक्टरी रिपोर्ट व पूरक रिपोर्ट का अवलोकन कर सी०डी० संलग्न किया। एस०आई० बृहमवती द्वारा पीड़िता के दर्ज किये गये बयान को नकल वादिया का सी०डी० संलग्न किया गया। वादिया की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। नक्शा नजरी पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। नक्शा नजरी पर प्रदर्शक-7 अंकित किया गया। पीड़िता के धारा 164 द०प्र०सं० के बयान अंकित कराये गये तथा 3(1) W 2 का लोप कर

3(2)5 एस०सी० एस०टी० एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त राजीव गौड़ को गिरफ्तार कर उसके बयान अंकित किये गये। अभियुक्त की रिमाण्ड हेतु न्यायालय में अनुरोध किया गया। बयान पीड़िता 164 द०प्र०सं०का अवलोकन कर सी०डी० संलग्न किया गया। अभियुक्त की रिमाण्ड हेतु न्यायालय में अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से प्राप्त शपथ पत्र को सी०डी० संलग्न कि या गया। बयान शपथकर्ता हरीश कुमार, उदयवीर सिंह यादव, राजेन्द्र सिंह, कृष्णकान्त उपाध्याय, जगदीश, सुरजीत, किशनमुरारी, श्रीनिवास, शिवनरायन शर्मा के बयान अंकित किये गये। बयान डाक्टर नीता गुप्ता, एस०आई० बृहमवती, वेदप्रकाश, अभियुक्त राजीव गौड़ अंकित किये गये। बयान श्रीमती सरिता गौड़ अंकित कर सी०डी० संलग्न किये गये तथा साक्ष्य संकलन विवेचना के आधार पर अभियुक्त बबलू उर्फ गोविन्द, श्रीमती सरिता गौड़ विजय गौड़ की नामजदगी गलत पायी गयी तथा नामित अभियुक्त राजीव गौड़ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य व विवेचना के आधार पर आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323,376,427,504,506 भा०दं०सं० व 3(2)5 एस०सी० एस०टी० एक्ट में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर आरोप पत्र कागज सं० 4 अ/1 लगायत 4 अ/6 पर हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर **प्रदर्श क-8** अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 डा० साधना राठौर को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 26-07-2016 को रेडियोललाजिस्ट के पद पर जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में तैनात थी। उस दिन मैंने पूनम पुत्र वेदप्रकाश निवासी बर्फखाना चौराहा शिवाजी मार्केट थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद का अल्ट्रासाउण्ड किया था, जिसे डा० नीता गुप्ता EMO ने लेडीज का० 630 मंजू कुन्तल थाना उत्तर के साथ भेजा था। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट MLPC No 402/2016 दिनांकित 26-07-2016 है। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट में बच्चेदानी सामान्य पायी गयी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6 अ/9 अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है, इस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती

हूँ इस अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट पर प्रदर्शक-9 अंकित किया गया। अल्ट्रासाउण्ड फिल्म पर वस्तु प्रदर्शक-1 अंकित किया गया। कागज 6 अ/10 है।"

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 20-07-2016 को समय लगभग 12.00 बजे दिन में पीड़िता के साथ स्वेच्छया लात, घूंसों, थप्पड़ों से मारकर साधारण उपहति कारित की गयी ? क्या उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता को गाली-गलौज देकर अपमानित किया गया तथा आपराधिक अभित्रास किया गया ? क्या पीड़िता का चश्मा तोड़कर आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी ? क्या पीड़िता के साथ अभियुक्त ने उसकी इच्छा के विरुद्ध लगातार चार वर्षों तक बलात्संग किया ? क्या अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध यह जानते हुए कारित किया कि पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य है ?

12. पीड़िता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया। पीड़िता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या उपरोक्त अभियुक्त राजीव गौड़ आदि के विरुद्ध दर्ज करायी गयी। विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें पीड़िता ने घटना का पूरा समर्थन किया। पीड़िता द्वारा यह बताया गया कि राजीव गौड़ द्वारा पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजीव गौड़ के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। साक्षी के तौर पर पीड़िता, वेदप्रकाश, उपनिरीक्षक बृहमवती, का० क्लर्क गौतम शर्मा, डा० नीता गुप्ता एवं विवेचक को परीक्षित किया गया। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का पूरा समर्थन किया और कहा कि राजीव गौड़ द्वारा पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर लगातार चार वर्षों तक बलात्कार किया गया। मना करने पर

जाति सूचक शब्द चमरिया कहा गया। तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया जो प्रदर्श क-1 है। धारा 164 द०प्र०सं० के बयान पर अपने हस्ताक्षर और फोटों की पुष्टि की है। पीड़िता ने जिरह के दौरान यह बताया कि राजीव गौड़ ने उसे इस बात का भरोसा दिया था कि वह उसे अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा और इसी को लेकर बलात्कार करता रहा। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पूर्णतः संदेह से परे साबित है तथा दण्डित किये जाने योग्य है। दण्डित किये जाने कि याचना की गयी है।

13. दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि मुकदमा सम्बन्धित अंतिम घटना 20-07-16 की बतायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दिनांक 25-07-16 को अर्थात् अंतिम घटना के लगभग 05 दिन बाद लिखायी गयी है। अभियोजन द्वारा कुल 05 साक्षी परीक्षित किये गये हैं। पी०डब्लू० 1 स्वयं प्रस्तुत मुकदमें की पीड़िता है। उसने अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 को और बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० को साबित किया है। पी०डब्लू० 2 के रूप में का० क्लर्क गौतम शर्मा को प्रस्तुत किया गया है। चिक एफ०आई०आर० के लेखक प्रदर्श क-2 को साक्षी ने साबित किया गया। इस प्रकार पी०डब्लू० 3 के रूप में डा० नीता गुप्ता, पी०डब्लू० 4 के रूप में ओमकार यादव क्षेत्राधिकारी/विवेचक एवं पी०डब्लू० 5 के रूप में रेडियोलाजिस्ट डा० साधना यादव को परीक्षित किया गया है। पीड़िता के कथन के समर्थन में किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना की अंतिम घटना की रिपोर्ट 20-07-16 समय 12.00 बजे की लिखायी गयी है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 25-07-16 को समय 10.00 बजे अंकित करायी गयी है। रिपोर्ट लिखाने हेतु प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के नाम दिनांक 20-07-16 को टाइप कराकर दी गयी, किन्तु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कोई आदेश जिस पर मुकदमा दर्ज कराये जाने के बाबत नहीं है। मुकदमा सीधे थाने पर दर्ज हुआ है। स्पष्ट है कि बदनीयती से कानूनी विचार-विमर्श के बाद दिनांक 20-07-16 को तिथि डालकर टाइप कराकर 25-07-16 को थाने पर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुचित विलम्ब के साथ तथा एन्टीटाइम दर्ज करायी गयी है।

देरी के सम्बन्ध में मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 2 पर आठवी लाईन से कथन है कि "दिनांक 20-07-16 को दिन के 12.00 बजे अभियुक्त पिकी उसका भाई बबलू व विजय तीनों लोग मेरे घर पर आये और धमकी दी कि तूने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो हम तुझे व तेरी बेटी को जान से मार देंगे तथा जाति सूचक गालियां दी कि साली चमरिया तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है मैंने उसी दिन दिनांक 20-07-16 को एस०एस०पी० महोदय को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की थी जो प्रार्थना पत्र एस०एस०पी० महोदय को दिया था वह पत्रावली पर कागज सं० 1 के रूप में साबित करती हूँ।" इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 2 का० क्लर्क 441 गौतम शर्मा ने पृष्ठ सं० 1 से अपनी जिरह में कहा कि "यह बात सही है कि तहरीर वादी कागज सं० 3 अ/3 पर एस०एस०पी० महोदय का कोई आदेश नहीं है परन्तु मैंने एच०एम०-सी०सी० के कहने पर चिक को टाइप किया था यह बात सही है कि मैंने मुख्य परीक्षा में यह बात भूल से लिखा दी है कि मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद के आदेश से वादिया के प्रार्थना पत्र के आधार पर चिक एफ०आई०आर० टाइप की थी मैंने पहले कायमी की जी०डी० किता की थी तब तक एफ०आई०आर० टाइप नहीं हुई थी मैंने चिक एफ०आई०आर० पर सी०सी० 447 अजय शर्मा के हस्ताक्षर नहीं कराये।" बचाव पक्ष की ओर यह भी तर्क दिया गया कि थाने पर पीड़िता द्वारा सांठ-गांठ कर एन्टीटाइम एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी और इसी उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को सम्बोधन अंकित कराया गया चूंकि मुकदमा उपरोक्त देरी से एन्टीटाइम लिखा गया था इसलिये समय से चिक एफ०आई०आर० सम्बन्धित न्यायालय को न भेज कर दिनांक 27-07-16 को सम्बन्धित न्यायालय भेजी गयी। जिसका उल्लेख चिक एफ०आई०आर० के मुख्य पृष्ठ पर अंकित होने के साथ-साथ पी०डब्लू० -2 की साक्ष्य की विवेचना से भी साबित होता है। पुलिस रैगूलेशन के अनुसार धारा 376 आई०पी०सी० के मुकदमें में मुकदमा कायमी के पश्चात स्पेशल रिपोर्ट पुलिस के उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है परन्तु पी०डब्लू०-2 ने पेज 3 पर अंकित पैरा में एस०आर० उच्चाधिकारियों को भेजने के सम्बन्ध में भी संतोष जनक जबाब नही दिया है और न एस०आर० रिपोर्ट भेजे जाने के सम्बन्ध में

अभियोजन ने कोई जी०डी० या कागजी साक्ष्य न्यायालय प्रस्तुत की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टीटाइम और कानूनी सलाह मशविरा के बाद लिखा गया जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। अग्रेतर यह भी तर्क दिया गया कि पी०डब्लू० 1 ने कथन किया है कि उसके मुहल्ले में ही राजीव गौड़ उर्फ पिंकी अशोक ठाकुर के मकान में अपनी माँ, भाई के साथ किराये पर रहता है वर्तमान में सुहाग नगर फिरोजाबाद में पंकज यादव के मकान में रह रहा है। अग्रेतर कहा कि शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाकर करीब 4 साल से लगातार बलात्कार करता चला आ रहा है। तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता का यह कथन असत्य है, चूँकि पीड़िता पहले से दो बार शादी शुदा थी तथा अभियुक्त भी पहले से शादी शुदा था, दोनों पडौस में रहने वाले हैं दोनों एक दूसरे को पहले से अच्छी तरह जानते पहचानते हैं यही नहीं पीड़िता भी पहले से दो- दो बार की शादी शुदा है और उसके दूसरे पति से पीड़िता का तलाक भी नहीं हुआ था साथ ही अभियुक्त की जीवित पत्नी मौजूद होने तथा पी० डब्लू० 1 पीड़िता का जीवित पति मौजूद होने की जानकारी एक दूसरे को होने की स्थिति में एक दूसरे के साथ हिन्दू विधि अनुसार शादी होना सम्भव ही नहीं है तब अभियुक्त द्वारा पीड़िता से शादी का वायदा करके पीड़िता के साथ बलात्कार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उपरोक्त बातों को पी० डब्लू०-1 ने अपनी साक्ष्य में स्वयं स्वीकार भी किया है। पीड़िता व अभियुक्त एक दूसरे से पूर्व से परिचित होने के सम्बन्ध में पी० डब्लू० 1 पीड़िता का पृष्ठ 4 पर कथन है कि "राजीव गौड़ जिस मकान में रहते हैं उसके पास ही मेरे बाबा की कटाई का इंजन फैक्ट्री थी आमने सामने वाली पट्टी में थोड़ी दूर पर हमारा व इनका मकान है मैं बचपन से ही राजीव गौड़ के परिवार के लोगों को नहीं जानती हूँ लेकिन मेरे परिवार वाले जानते थे राजीव गौड़ मेरे घर पर स्कूटर खडा करने आते थे इसलिये मैं इनको भी जानती थी" इसी पृष्ठ 4 के प्रथम पैरा के नीचे के चौथी लाईन में पी० डब्लू०-1 पीड़िता ने कहा कि मेरे पहली शादी होने के बाद से राजीव गौड़ को जानती थी उसने यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता की कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट से पहले दो बार शादी हो चुकी थी पीड़िता पी० डब्लू०-1 ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पहली

शादी राजेन्द्र प्रसाद से हुई थी जिससे वह तलाक होना कहती है परन्तु तलाक का कोई कागज साबित नहीं किया है तथा दूसरी शादी हरीश चन्द्र से होना स्वीकार किया है। जिससे दूसरे पति से इस मुकदमें की गवाही की दिनांक तक पीडिता का तलाक नहीं हुआ था। पीडिता पी०डब्लू० 1 बयान के पृष्ठ 6 पर दोनों पक्षों का पूर्व शादी शुदा होना स्वीकार होने के साथ-साथ एक दूसरे से कोई जौर जबरदस्ती की शिकायत होना पी०डब्लू० 1 पीडिता ने नहीं कहा है। पी०डब्लू० 1 ने पृष्ठ 7 के अंतिम पैरा में कहा है कि उसे राजीव गौड़ के शादी शुदा होने की जानकारी वर्ष 2011 में हो गयी थी इसके उपरान्त भी वादिया पी०डब्लू० 1 अपनी दूसरी शादी के बाद दो दिन तक अपने दूसरे पति के साथ रही थी फिर उसके बाद राजीव गौड़ के साथ रही थी। पीडिता ने यह भी कथन किया है कि दो माह तक कोटा में रही थी, एक साल राजीव गौड़ के साथ नगला करन सिंह में रही थी इस दौरान राजीव गौड़ के साथ हंसी खुशी से रही थी कोई विवाद नहीं हुआ था। उसने यह भी कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाति के आधार पर राजीव गौड़ ने उसे मारा पीटा हो। इसी बिन्दु पर पी०डब्लू०-1 पीडिता का पृष्ठ 8 पर अंतिम पैरा में कहना है कि राजीव गौड़ के शादी शुदा होने पर पीडिता ने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। पीडिता पी०डब्लू०-1 ने पृष्ठ 12 पर यह स्वीकार किया है कि वह राजीव गौड़ के साथ अपनी मर्जी से गयी थी पीडिता बार-बार शादी करने और बच्चे वाली होने के उपरान्त भी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाती थी इसलिये पीडिता के परिवार वालों ने उसके गायब हो जाने पर उसे खोजने के स्थान पर उसके व राजीव गौड़ के खिलाफ बशकू आशनाई पीडिता के साथ राजीव गौड़ के साथ चले जाने की धारा 498 के असंज्ञेय अपराध की धारा 498 में ए०सी०आर० थाना पर उत्तर पर लिखाई थी इस तथ्य को वादिया पी०डब्लू० 1 ने पृष्ठ 5 पर पैरा नं० 1 में स्वीकार करने के साथ-साथ पृष्ठ 10 पर जिरह की पहली लाईन से 3 लाईन तक स्वीकार किया है चूँकि धारा 498 जारकर्म असंज्ञेय अपराध की परिधि में आता है और उसमें न तो पुलिस केस चल सकता है और न ही वादिया कोई सरकारी अनुदान प्राप्त हो सकता था इसी तथ्य को पी०डब्लू० 4 विवेचक ने पृष्ठ 6 पर अंकित पैरा नं० 16 में स्वीकार किया है। स्पष्ट है झूठा घटनाक्रम

गढकर यह मुकदमा लिखाया गया है। शादी का झांसा देकर या जोर जबरदस्ती कर अभियुक्त द्वारा पीड़िता पी०डब्लू० 1 के साथ बलात्कार करने का आरोप पूर्णतः झूठ साबित हो जाता है। अग्रेतर यह भी तर्क दिया गया कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को पहने से अच्छी तरह पहले से जानते व पहचानते थे चूँकि एक ही मौहल्ले के रहने वाले है, इस सम्बन्ध में पीड़िता पी०डब्लू० 1 ने मुख्य परीक्षा में पाँचवी लाईन से कहा है कि "अभियुक्त पंकी मेरे मौहल्ले में अशोक ठाकुर के मकान में किराये पर रहता था इसी सम्बन्ध में पीड़िता को अपनी जिरह में पृष्ठ 4 के पैरा नं० 1 में सातवीं लाईन में स्वीकार है कि राजीव गौड मेरे घर पर स्कूटर खड़ा करने आते थे इसलिये मैं उनको पहले से जानती थी इसी पैरा में दो लाईन बाद पीड़िता ने कहा कि यह मेरे यहां स्कूटर खड़ा करने आते थे तब इनकी मेरे परिवार वालों से बातचीत होती थी मुझे ध्यान नहीं कि मैं कितनी उम्र की थी। पहली शादी होने के बाद से राजीव गौड को जानती थी। मेरे परिवार में व राजीव गौड के परिवार में कभी बिरादरी के आधार पर कोई झगडा या विवाद या मुकदमेंबाजी नहीं हुई थी। पी०डब्लू० 1 ने पृष्ठ 7 पर अंतिम पैरा में सातवी लाईन से कहा कि राजीव गौड के साथ रहने के दौरान राजीव गौड ने कभी जाति बिरादरी के नाम पर मारपीट नहीं की। उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि मामला अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। विवेचक द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं है जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि मामला एस०सी०एस०टी० एक्ट की दण्डनीय अपराध की परिधि में आता हो। उपरोक्त परिस्थिति में पीड़िता की स्वयं की साक्ष्य एवं डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट एवं विवेचक पी०डब्लू० 4 की साक्ष्य से स्पष्ट है कि पीड़िता कथित घटना कम के समय पूर्व से शादी शुदा एक बेटे की माँ व बालिग महिला थी और पीड़िता की दो शादी होने के उपरान्त भी अपने पति के साथ न रहकर अक्सर लम्बे-लम्बे समय हेतु घर से गायब हो जाती थी, इसीलिये अपनी इज्जत बचाने हेतु पहले पीड़िता के परिवार वालों द्वारा थाने पर एन०सी०आर० धारा 498 आई०पी०सी० में लिखाई गयी जो असंज्ञेय अपराध था इसी कारण मौहल्ले पडौस की पार्टीबन्दी के कारण लोगों के बहकावे अभियुक्त को इस मामले में झूठा फसाया गया है। चूँकि अभियुक्त का परिवार जिस

मकान में रहता है वह मकान अशोक कुमार अपना बताता है। इस सम्बन्ध में अशोक कुमार के साथ वर्ष 2012 से अभियुक्त की माँ की मुकदमेंबाजी चल रही है। इस सम्बन्ध में पक्की नकले प्रस्तुत की गयी। अग्रेतर आधार दिया गया कि अभियोजन कथानक पूर्णतः संदिग्ध है। पीड़िता के साक्ष्य के अलावा अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। याचना की गयी है कि उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाये।

14. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25-07-16 को समय 10.00 बजे पीड़िता द्वारा प्रस्तुत किये गये टाइपशु प्रार्थना पत्र दिनांकित 20-07-16 के आधार पर पंजीकृत की गयी। तहरीर प्रदर्श क-1 के प्रथम पृष्ठ पर सी०ओ० सदर का इस आशय का पृष्ठांकन है कि "एस०एच०ओ० उत्तर वैधानिक कार्यवाही करें। 20-07-16 का ही एस०एच०ओ० उत्तर का पृष्ठांकन है कि "एस०आई० देवेन्द्र सिंह जाँच कर आख्या प्रस्तुत करें। तहरीर के प्रथम पृष्ठ पर एस०एच०ओ० का पृष्ठांकन 25-07-16 इस आशय का है कि अभियोग पंजीकृत करें।" उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को सम्बोधित है, किन्तु उनका कोई पृष्ठांकन उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर नहीं है। तहरीर प्रदर्श क-1 में मुख्यतः तीन आरोपों का उल्लेख किया गया है। प्रथमतः यह है कि पीड़िता अनुसूचित जाति जाटव की तलाकशुदा महिला है। उसके मौहल्ले के राजीव गौड़ उर्फ पिकी पुत्र अज्ञात, अशोक ठाकुर निवासी बर्फखाना चौराहा, शिवाजी मार्ग थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद में रह रहा है। अभियुक्त ने प्रार्थिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाकर करीब चार साल से लगातार बलात्कार करता चला आ रहा है। जब प्रार्थिनी/पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई तो उक्त पिकी उर्फ राजीव गौड़ शादीशुदा है। तब पीड़िता ने ऐसा करने से मना किया लेकिन उक्त पिकी प्रार्थिनी को भरोसा देता रहा कि वह उसे अपने घर में बतौर

पत्नी रखेगा तथा धोखा नहीं देगा। अभियुक्त ने यह भी कहा कि इस बात को उसकी पत्नी और घर वालों से मत बताना यदि तूने बता दिया तो तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा और जान से मार दूंगा। दूसरा आरोप यह अंकित किया गया है कि घटना दिनांक 17-07-16 की समय करीब शाम 06.00 बजे की है। उक्त पिंकी ने अपने मो० नं० 9536990880 से प्रार्थिनी के मो० नं० 9450240402 पर फोन कर अपने घर बुलाया। जब प्रार्थिनी उसके घर पहुँची तो वहाँ पर उसकी पत्नी सरिता गौड़ भी मिली। सरिता गौड़ को प्रार्थिनी ने सारी बात बताना चाहा तो इसी बात पर उक्त पिंकी प्रार्थिनी को पकड़कर गिरा दिया और माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए थप्पड़, लात, घूसों से मारपीट की। दोनों लोगों ने मिलकर प्रार्थिनी /पीड़िता को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की तथा धमकी दे रहा था कि साली चमरिया यदि कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। मारपीट के समय प्रार्थिनी/पीड़िता का चश्मा भी टूट गयी। शरीर में अन्दरूनी चोटें आई तथा नील के निशान भी है तथा काफी दर्द हो गया। प्रार्थिनी /पीड़िता घटना की रिपोर्ट करने थाना जा रही थी तो उक्त लोगों ने प्रार्थिनी का रास्ता रोक दिया। तीसरा आरोप यह अंकित किया गया कि दिनांक 20-07-16 को समय करीब 12 बजे दिन पिंकी और उसका भाई बबलू और विजय तीनों लोग मिलकर प्रार्थिनी के घर आये और धमकी दे रहे थे कि यदि तूने हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट की तो तेरी हत्या कर देंगे। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उक्त लोगों की धमकी की वजह से प्रार्थिनी काफी भयभीत और डरी हुई है। किसी तरह छिप छिपाकर घटना की रिपोर्ट करने आई है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना उत्तर के आदेश पर अभियुक्त राजीव गौड़, सरिता, बबलू और विजय के विरुद्ध अ०सं० 969/16 अन्तर्गत धारा 323, 376, 427, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) 12 एस०सी०/

एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 05 किलोमीटर दर्शायी गयी है तथा घटना स्थल से पीड़िता का मकान स्थित बर्फखाना चौराहा शिवाजी मार्ग फिरोजबाद है। विवेचना के दौरान सरिता, बबलू एवं विजय की नामजदगी गलत पायी गयी और मात्र अभियुक्त राजीव गौड़ के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 17-07-16 की कथित घटना के सम्बन्ध में पीड़िता अथवा उसके परिवारीजनों द्वारा न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी और ना ही किसी सक्षम अधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया और ना ही न्यायालय के माध्यम से कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी। दिनांक 20-07-16 को भी कथित रूप से प्रार्थना पत्र में अंकित की गयी जिसके सम्बन्ध में थाना प्रभारी के पृष्ठांकन भी है, किन्तु 20-07-16 को कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी घटनाक्रम के सम्बन्ध में पंजीकृत नहीं की गयी है। लगभग 05 दिन के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है। 05 दिनों तक कोई कार्यवाही न किया जाना यह इंगित करता है कि सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र प्रदर्शक -1 सम्यक विचार विमर्श उपरान्त टाइप कराकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश अंकित नहीं है। इससे यह परिलक्षित होता है कि पीड़िता द्वारा सलाह मशविरा करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब से प्रार्थना पत्र पंजीकृत कराये जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है।

विवेचना के दौरान व विवेचक द्वारा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० निम्न आशय का अंकित किया गया कि-

पीड़िता पुत्री वेदप्रकाश, उम्र 30 साल बर्फखाना चौराहा शिवाजी मार्ग, थाना उत्तर, फिरोजाबाद, शिक्षा इण्टर पास। "मैं 06 साल से

तलाकशुदा महिला हूँ। मेरे पास एक आठ साल की बेटी खुशी है। मेरे मौहल्ले का एक लड़का राजीव गौड़ उर्फ पिंकी शादी का झांसा देकर चार साल से मेरा यौन शोषण करता रहा। दिनांक 17 जुलाई 2016 समय 05.30 बजे शाम के राजीव गौड़ ने मुझे मेरे नं० 9456240902 पर अपने नम्बर 9536990880 से फोन करके सुहाग नगर हिमायपुर चौराहा पर किराये के मकान में जहाँ पर अपनी पत्नी सरिता गौड़ के साथ रहता है मुझे बुलाया। मैं अकेली राजीव के घर गई वहाँ सरिता गौड़ और राजीव गौड़ ने मुझे मारा और चमरिया कहकर घर से निकाल दिया। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने शोर मचाया लेकिन किसी ने नहीं सुना। मेरे कपड़े फाड़ दिये और चश्मा तोड़ दिया फिर मुझे वहाँ से जान बचा के निकलना पड़ा। मैंने फिर 20 जुलाई 2016 को राजीव गौड़, बबलू गौड़ और विजय गौड़ मेरे घर पर मुझे धमकी देने आये थे कि कोई केस मत करना नहीं तो चमरिया तुझे और तेरी बेटी को जान से मार देंगे। तब मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे एक साल बाद पता चाल कि राजीव गौड़ की बीवी है। तो मेरे घरवालों ने मेरी दूसरी शादी कर दी थी। जिस पर मैं विदा होके निकली उसी पल राजीव गौड़ ने मेरे पति से कहा कि यह बदचलन है मेरे इसके सम्बन्ध है। उसी पल मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। तब से राजीव गौड़ ही मुझे रख रहा था और मेरा यौन शोषण कर रहा था। मैंने कहा कि मैं अब कानून से मदद मांगुंगी तभी राजीव गौड़ और बबलू गौड़ व विजय गौड़ बोला कि जा चमरिया जो करा जाये तू कर लिये। उन लोगों के जाने के बाद मैं दबर्ई आयी। मैंने केस किया। प्रश्न- पहले से पता नहीं था कि राजीव शादीशुदा है ? उत्तर- पहले से मुझे पता नहीं था कि राजीव गौड़ शादीशुदा है और उसने कहा था कि मेरी बीवी खत्म हो गई। एक साल बाद पता चला था इस बात का। प्रश्न- जब तुम्हे राजीव गौड़ और राजीव गौड़ की पत्नी ने मारा पीटा तो क्या तुम थाना गयी थी या पुलिस को सूचना दी थी ? उत्तर- नहीं दी थी। प्रश्न- और कुछ कहना

चाहती हो ? उत्तर- नहीं।" पीड़िता का उपरोक्त बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० दिनांक 01-08-2016 को अंकित किया गया।

पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 10-08-2016 को अंकित किया गया जो पत्रावली पर प्रदर्शक-2 है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में कहा कि-

"मैं जाटव जाति की तलाकशुदा महिला हूँ। मेरे मौहल्ले का राजीव गौड़ उर्फ पिंकी, अशोक ठाकुर के मकान में रहता था। अब सुहाग नगर में हिमायूपुर चौराहा पंकज यादव के मकान में रहता है। पिंकी चार साल से मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ बलात्कार करता चला आ रहा है। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि उसकी पत्नी है और वह पहले से शादीशुदा है तब मैंने उसे मना किया। पर उसने मुझे भरोसा दिया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ अपने घर पर रखूंगा। यह बाद न तो मेरी पत्नी और न मेरे घरवालों को बताना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं न तो तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा भरोसा करो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। दिनांक 17-07-16 समय 05.30 बजे पिंकी ने अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पर फोन कर घर पर बुलाया। 06.00 बजे मैं उनके घर गई। वहां उसकी पत्नी सरिता गौड़ मिली। सरिता और पिंकी ने मुझे मारापीटा। लात, घूसों से मारा। माँ, बहन की गंदी-गंदी गालियां दी। कहा साली चमरिया तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हम तुम्हें जान से मार देंगे। मुझे चोटें आईं। मेरा चश्मा टूट गया। गला दबा कर जान से मारने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे जान बचाकर भागी। दिनांक 20-07-16 को 12.00 बजे पिंकी, बबलू व विजय मेरे घर आये। मुझे धमकी दी कि यदि रिपोर्ट लिखाई तो तेरी हत्या कर देंगे।"

'पीड़िता' को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित किया गया। 'पीड़िता' ने शपथपूर्वक कथन किया कि-

“घटना दिनांक 17-07-16 को शाम करीब 06.00 बजे की थी। अभियुक्त राजीव गौड़ उर्फ पिकी ने मुझे मोबाइल नं० 9536990880 से मेरे मोबाइल नं० 9456240402 पर फोन करके अपने घर बुलाया था। अभियुक्त पिकी मेरे मौहल्ले में अशोक ठाकुर के मकान में किराये पर रहता था। उसने शादी का झाँसा देकर मेरे साथ करीब चार साल तक शरीरिक सम्बन्ध बलात्कार करता रहा था तथा अपने आपको अविवाहित बताकर मुझसे शादी करने की बात कहता रहा। मुझे जब पता चला कि पिकी उर्फ राजीव गौड़ पहले से शादीशुदा है तब मुझसे पिकी उर्फ राजीव ने किसी को बताने से मना किया तथा मुझे भरोसा देता रहा कि मैं तुझे ही अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखूंगा अगर तुमने किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। इसी वजह से अभियुक्त पिकी ने मुझे दिनांक 17-07-16 को अपने घर बुलाया था। मैं जब उसके घर पहुंची तो उसकी पत्नी सरिता गौड़ मिली। मैंने उसे सारी बात बतानी चाही तभी मुझे पिकी उर्फ राजीव ने पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया तथा माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए लात, घूसों से मारा तथा जाति सूचक गालियां देते हुये कहा कि साली चमरिया तू हमारा क्या कर लेगी। मारपीट से मेरे शरीर में चोटे आयी। मेरा चश्मा टूट गया था। मैं उस दिन रिपोर्ट लिखाने जा रही थी तो मुल्जिमानों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। मेरे साथ पिकी उर्फ राजीव व सरिता दोनों ने मारपीट की तथा गालियां व जाति सूचक शब्द घटना के समय कहे थे। तब मैं दिनांक 20-07-16 को दिने के बारह बजे अभियुक्त पिकी उसका भाई बबलू तीनों लोग मेरे घर आये और धमकी दी कि तूने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हम तुझे व तेरी बेटी को जान से मार देंगे तथा जाति सूचक गालियां दी कि साली चमरिया तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैंने उसी दिन दिनांक 20-07-16 को एस०पी० महोदय को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की थी। जो प्रार्थना पत्र एस०एस०पी० महोदय को दिया था वह पत्रावली पर कागज सं०

3 अ/3 है, जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर **प्रदर्शक-1** डाला गया। दिनांक 01-08-16 को पुलिस ने मेरा बयान लिया था तथा दिनांक 10-08-16 को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष मेरा बयान हुआ था। सीलबन्द लिफाफा माननीय न्यायालय के आदेश से खोला गया तथा गवाह को धारा 164 द०प्र०सं० का बयान खोलकर पढ़कर सुनाया गया तथा दिखाया गया तो गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए बयानों की पुष्टि की, इस पर **प्रदर्शक-2** डाला गया। मेरी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ था तथा अल्ट्रासाउण्ड भी हुआ था।" पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में कथन किया है कि राजीव जिस मकान में रहते हैं उसके पास ही मेरे बाबा का कटाई का इंजन फैक्ट्री थी। आमने-सामने थोड़ी दूरी पर हमारा व इनका मकान है। बचपन से ही मैं राजीव गौड़ के घरवालों को नहीं जानती थी लेकिन मेरे घरवाले जानते थे। राजीव गौड़ मेरे घर पर स्कूटर खड़ा करने आते थे। इसलिए मैं इनको भी जानती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार से राजीव के परिवार में मधुर सम्बन्ध थे या नहीं और इसीलिए स्कूटर खड़ा करने आते थे। जब यह मेरे यहाँ स्कूटर खड़ा करने आते थे तब इनकी मेरे परिवार वालों से बातचीत होती थी। मुझे ध्यान नहीं है कि मैं कितनी उम्र की थी तब से राजीव गौड़ को जानती हूँ। मेरी पहली शादी होने के बाद मैं राजीव गौड़ को जानती थी। मेरे परिवार से व राजीव गौड़ के परिवार में कभी बिरादरी के आधार पर कोई झगडा विवाद या मुकदमेबाजी नहीं हुई। अग्रेतर कहा कि मुझे नहीं मालूम कि राजीव गौड़ की शादी किस सन् में हुई थी। राजीव गौड़ की शादी आज से करीब 10-12 साल पहले हुई थी या नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम है मैं नहीं बता सकती कि राजीव गौड़ मेरे घर के सामने वाले मकान में कब तक रहे। मुझे यह बात पहले पता नहीं चली कि राजीव गौड़ पर एक दस साल का बेटा है। बाद में पता चली थी। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कब पता चला कि राजीव गौड़ के पास

दस साल का बेटा है। मेरे परिवार के लोगों का राजीव गौड़ के घर पर आना-जाना नहीं रहा है। मेरे परिवार के लोग राजीव की शादी में शामिल नहीं हुए थे। मेरी पहली शादी में राजीव शामिल नहीं हुआ था। मेरी पहली शादी में फोटोग्राफी हुई थी। मेरी शादी की फोटो में राजीव के घर के लोग नहीं हैं। मैं फोटोग्राफ साथ नहीं लाई क्योंकि वह हाथरस में है और हाथरस के पति से मेरा तलाक हो गया है। मैंने अपने पूर्व पति से हुए तलाक के कागजात दरोगा जी को दिये थे। इस स्तर पर गवाह को पत्रावली दिखायी गयी तो गवाह ने कहा कि पत्रावली पर मेरे हाथरस वाले पहले पति राजेन्द्र से हुए तलाक के कागजात पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अग्रेतर कहा कि मैंने रिपोर्ट में यह नहीं लिखाया है कि मेरी पहली शादी राजेन्द्र प्रसाद से हो चुकी थी। दूसरी शादी मेरी हरीशचन्द्र से हुई थी। पहली शादी मेरी 27-04-2003 में हुई थी। दूसरी शादी 14-06-2011 में हुई थी। 14-06-11 वाली शादी में कोई तलाक नहीं हुआ था। मैंने एफ०आई०आर० में यह बात लिखायी है कि अभियुक्त राजीव गौड़ से मेरे पिछले चार साल से सम्बन्ध थे। अर्थात् जुलाई 2012 से सम्बन्ध थे। मैं शादीशुदा हूँ यह बात मैंने राजीव गौड़ को बताई थी। यह कहना सही है कि सन् 2012 में मेरी हरीशचन्द्र से तलाक नहीं हुआ था। स्वयं कहा कि हरीशचन्द्र से शादी राजीव ने करायी थी। जाति को लेकर करायी थी क्योंकि अभियुक्त ठाकुर है व हरीशचन्द्र जाटव थे। हरीशचन्द्र मक्खनपुर के हैं। मक्खनपुर फिरोजाबाद जिले में है। मैं इण्टर तक पढी -लिखी हूँ। हरीशचन्द्र से शादी हुई थी उसमें मेरे परिवार के लोग शामिल हुए थे, उसमें फोटोग्राफी हुई थी, लेकिन वह फोटो मेरे पास नहीं हैं। हरीशचन्द्र व मेरी शादी में अभियुक्त राजीव गौड़ शामिल हुआ था तथा उसके घर के लोग शामिल हुए थे। हरीशचन्द्र की व मेरी शादी मेरे घर से हुई थी। हरीशचन्द्र के घर को लोग भी इस शादी में शामिल हुए थे। मेरी हरीशचन्द्र से शादी हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार हुई थी। हरीशचन्द्र से

मेरी शादी राजीव गौड़ ने करायी थी। राजीव गौड़ ने हरीशचन्द्र से शादी करने के लिए मेरे परिवार वालों को बताया था। फिर मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी कर दी थी। मैंने अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 में यह नहीं लिखाया था कि मेरी दूसरी शादी राजीव गौड़ ने हरीशचन्द्र से करायी थी। अग्रेतर कहा कि इस केस में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैं बयान देती जा रही थी और दरोगा जी लिखते जा रहे थे। मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे बयान में यह बात सही लिखी है या गलत है कि "मुझे एक साल बाद पता चला था कि राजीव गौड़ की बीवी है तो मेरे घरवालों ने मेरी दूसरी शादी कर दी थी।" मुझे नहीं पता कि मेरे बयान में यह बात सही लिखी है या गलत लिखी है कि "जिस पल मैं विदा होकर निकली उसी पल राजीव गौड़ ने मेरे पति से कहा कि यह बदचलन है।" राजीव हिमायूपुर में कब से रह रहा है मुझे ध्यान नहीं है। मैं महीना व सन् नहीं बता सकती हूँ। हिमायूपुर मेरे तथा राजीव गौड़ के पुराने घर से दो किलोमीटर दूर है। मेरा पुराना घर थाना उत्तर में है तथा हिमायूपुर थाना दक्षिण में है। यह कहना गलत है कि राजीव गौड़ हिमायूपुर में मेरी दूसरी शादी के पहले से रह रहा है।----- मुझे अपनी दूसरी शादी में चार-पाँच महीने बात पता चल गया था कि राजीव गौड़ शादीशुदा है। मुझे सन् 2011 में ही पता चल गया था कि राजीव गौड़ शादीशुदा है। मैं अपनी दूसरी शादी के बाद दो दिन तक अपने पति के साथ रही थी। फिर उसके बाद राजीव गौड़ के साथ रही थी। मैं दो माह कोटा में रही थी। एक साल तक राजीव गौड़ के साथ नगला करन सिंह में रही थी। इस दौरान मैं राजीव गौड़ के साथ हँसी खुशी रही थी। कोई विवाद नहीं हुआ था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाति के आधार पर उसने मुझे मारापीटा हो और मैं थाने गयी हूँ। मेरे व राजीव गौड़ के सवा साल तक नाजायज तौर पर साथ-साथ रहने के दौरान कोई जानकारी मेरे परिवार वालों को नहीं हुई थी। मेरे घर वालों ने उस दौरान मुझे नहीं खोजा क्योंकि मैं भाग चुकी थी। स्वयं कहा कि राजीव गौड़ मुझे अपने

साथ ले गये थे। इस घटना की मेरे घर वालों ने थाने पर रिपोर्ट की थी। मेरे घर वालों ने एन०सी०आर० लिखायी थी। मुझे यह नहीं मालूम कि किस धारा में लिखायी थी। उन्मोचन प्रार्थना पत्र कागज सं० 16 ब/1 लगायत 16 ब/5 मेरे द्वारा दाखिल किया गया है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। इस जवाब के साथ मैंने एन०सी०आर० संख्या 89/12 दिनांक 18-06-11 खी छायाप्रति कागज सं० 16 ब/9 भी दाखिल की है। इस जवाब में मैंने पृष्ठ सं० 3 पर अंकित किया है कि एन०सी०आर० धारा 498 भा०द०सं० में अंकित हुई थी और उसी की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अग्रेतर कहा कि मुझे यह पता चला कि राजीव गौड़ पहले से शादीशुदा है तो मैंने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की थी। स्वयं कहा कि क्योंकि राजीव गौड़ ने मुझे इस बात का भरोसा दिया था कि मैं तुझे अपने साथ रखूंगा इसीलिए मैंने अपने घरवालों से भी शिकायत नहीं की थी और यह जानते हुए कि मैं भी शादीशुदा हूँ राजीव गौड़ भई शादीशुदा है, मैं राजीव गौड़ के साथ चली गयी थी। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मैं किस तारीख को राजीव गौड़ के साथ गयी थी। कोटा में रहने के दौरान मेरे पास मेरा आधार कार्ड, मेरी बच्चा के जन्म प्रमाण पत्र, मेरे व राजीव के साथ साथ के फोटो मेरे पास थे। जो राजीव गौड़ ने निकाल लिये थे। अग्रेतर कहा कि मैं जब कोटा गयी थी उस समय मैं गर्भवती नहीं थी। बच्ची मेरी पहले पति से पैदा है जो 5-6 साल की थी। जब मैं गयी थी मेरी बच्ची उस समय कृष्णा पब्लिक स्कूल में पढती थी। मेरी बच्ची उस समय LKG में थी। उन दिनों मैं अपने मायके में रह रही थी। मैं राजीव गौड़ के साथ अपनी ससुराल से गयी थी। राजीव गौड़ ने मुझे दो-तीन बार फोन करके आने को कहा था। मेरे न आने पर मेरी ससुराल में ही पहुँचने की बात कही थी। बच्ची उस समय मेरी ससुराल में थी। उस समय सन् 2011 जून का महीना था। मैंने दरोगा जी को यह बात नहीं बतायी थी कि मैं राजीव गौड़ के बुलाने पर अपनी ससुराल से

गयी थी। अग्रेतर कहा कि इस केस में मैंने मजिस्ट्रेट साहब को बयान दिया था। जो 10-08-2016 को दिया था। मैंने मजिस्ट्रेट साहब को नहीं बताया था कि मैं अपनी ससुराल से राजीव के बुलाने पर स्वेच्छा से उसके साथ कोटा गयी दो माह साथ रही फिर नगला करन सिंह से उसके साथ एक साल रही इस बीच मेरे घर वालों ने मुझे तलाश नहीं किया। यह बात मैंने दरोगा जी को भी नहीं बतायी थी।----- अग्रेतर शपथपूर्वक कहा कि NCR मैंने अपने पापा से लेकर उन्मोचन प्रार्थना पत्र को आपत्ति के साथ दाखिल की थी। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने पापा से NCR कब ली थी। मुझे राजीव गौड़ मेरी ससुराल से फोन से बुलाकर इसी दबरई कचहरी के बाहर से लिवाकर ले गया था। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मायके में गयी थी। अगर मेरे भाई ज्ञान सिंह ने मेरा राजीव गौड़ के साथ थाना उत्तर क्षेत्र से जाना लिखाया है तो गलत होगा। मैं राजू व संतोष को नहीं जानती हूँ और उन्हीं मौजूदगी में राजीव गौड़ के साथ गयी थी। राजू व संतोष ने मुझे जाते हुए देखा होगा लेकिन मैंने उनको नहीं देखा था। दिनांक 17-07-16 को जब राजीव गौड़ ने जिस नम्बर से जिस नम्बर पर फोन करके मुझे बुलाया था वह दोनों नम्बर मैंने विवेचनाधिकारी को बता दिये थे। मेरा मोबाइल प्रीपेड है। जब राजीव गौड़ ने मुझे बुलाया था तब मैं अपने माँ-बाप को बताकर नहीं गयी थी। 17-07-16 के कितने दिन पहले से मैं अपने माँ-बाप के साथ रह रही थी मैं नहीं बता सकती। मैं यह भी नहीं बता सकती कि मैं एक साल पहले से रह रही थी या दो साल पहले से रह रही थी। स्वयं कहा कि काफी समय पहले से रह रही थी। इस दौरान राजीव गौड़ अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन मुझे धमकी देकर बुलाते रहते थे। स्वयं कहा कि मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत काम करते थे और उसी घर में बुलाते थे जिसमें उसकी बीवी रहती थी। फिर स्वयं कहा कि गोदाम पर भी बुलाते थे। इनका गोदाम छोटे चौराहे पर अन्दर गली में है। मुझे नहीं मालूम कि छोटा चौराहा कि छोटा चौराहा गली के अंदर थाना

रसूलपुर में पड़ता है। जब घंटाघर चौराहा से इमामबाड़ा चौराहे की ओर आयेंगे तो गोदाम वाली गली सीधे हाथ पर पड़ती है। संडे के दिन गोदाम पर बुलाता था तथा घर किसी भी दिन बुलाता था। स्वयं कहा कि घर पर सुबह के समय बुलाता था। दिनांक 17-07-16 से पहले मुझे राजीव गौड़ की पत्नी उसके घर पर कभी नहीं मिली। इसलिए उससे पहले मारने-पीटने की बात नहीं हुई। जबरन घर पर व गोदाम पर बलात्कार करने की कोई रिपोर्ट मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे यह धमकाता था। इस केस की रिपोर्ट भी मैंने नहीं लिखायी थी। घर पर व गोदाम पर बुलाकर मेरे साथ बलात्कार करता था। मैंने सी०ओ० साहब को जब इस केस में बयान दिया था तब उन्हें नहीं बताया था कि मुझे राजीव गौड़ समय समय पर अपने गोदाम व हिमायूपुर के घर पर बुलाता था और यह भी नहीं बताया था कि हिमायूपुर गोदाम में बुलाकर मेरे साथ बलात्कार करता था। अग्रेतर कहा कि मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिये गये बयान में यह नहीं बताया था कि समय -समय पर राजीव गौड़ मुझे हिमायूपुर वाले मकान व गोदाम में बुलाता था तथा बलात्कार करता था। मैंने केवल बलात्कार वाली बात बतायी थी। गवाह को धारा 164 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मेरे बयान में बलात्कार करने वाली बात नहीं लिखी है क्यों नहीं लिखी है, मैं इसकी वजह नहीं बता सकती हूँ। दिनांक 17-07-16 को मेरा चश्मा टूटा कहती हूँ, मैंने विवेचक को कब्जा पुलिस में नहीं दिया था। स्वयं कहा कि टूटा हुआ चश्मा राजीव गौड़ के घर पर ही रह गया था। मैंने विवेचक को यह नहीं बताया था कि मेरा टूटा हुआ चश्मा राजीव गौड़ के घर पर रह गया था। न मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मेरा चश्मा राजीव गौड़ के घर पर रह गया है। हिमायूपुर से अपने घर मैं अकेली आयी थी। राजीव गौड़ ने मेरा हिमायूपुर पर रास्ता रोका था वहाँ से मैं अकेली रिक्शा पकड़कर निकल गयी थी। राजीव गौड़ वहीं पर हिमायूपुर में रह गया था। मैं सीधी अपने घर आ गयी थी। थाना दक्षिण

नहीं गयी थी। फिर दूसरे दिन थाना दक्षिण जा रही थी। प्रार्थना पत्र लिखकर नहीं जा रही थी। वैसे ही जा रही थी। मेरा रास्ता थाने जाने के लिए दो बार रोकने वाली बात मैंने विवेचक को नहीं बतायी थी। मैंने यह भी नहीं बताया था कि दिनांक 17-07-16 के बाद दूसरे दिन भी मैं रिपोर्ट करने जा रही थी। दिनांक 17-07-16 से 20-07-16 के बीच किसी अधिकारी को रजिस्ट्री से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र नहीं दिया था।----- दिनांक 17-07-16 को कोई डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया था। मैं हिमायूपुर से जब आयी थी तो गाँधी पार्क चौराहे पर निकली थी और सरकारी अस्पताल जैन मन्दिर तिराहे पर है। गाँधी पार्क चौराहे से जैन मंदिर चौराहे तक जाने में रिक्शे से पाँच मिनट लगेंगे। यह कहना गलत है कि दिनांक 17-07-16 को न कोई घटना हुई हो न मैं हिमायूपुर गयी हूँ न मेरा चश्मा टूटा हो और मैंने यह घटना कानूनी सलाह पर झूठी लिखायी हो और यह झूठी गवाही दी हो। अग्रेतर कथन किया कि राजीव गौड़ के बुलाने पर हिमायूपुर कब कब गयी गोदाम पर कब कब गयी उसकी कोई तारीख, महीना व साल नहीं बता सकती हूँ। यह कहना गलत है कि मैं महीना, साल, तारीख इसलिए नहीं बता सकती हूँ कि यह बात झूठी कानूनी सलाह के आधार पर कह रही हूँ। अग्रेतर कथन किया कि जो घटना मैं दिनांक 20-07-16 की बताती हूँ वह घटना मेरे पिता जी के की है। उस समय मेरे पिता या भाई भाभी आदि घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था। मेरे पिता जी के मकान के आसपास किस किस के मकान है मुझे नहीं मालूम जबकि इसी मौहल्ले में मैं पैदा हुई हूँ। जिस समय मुल्जिमान ने गाली-गलौज की उस समय पड़ोस का कोई व्यक्ति नहीं आया था। इस घटना में मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी। स्वयं कहा कि केवल धमकी दी थी। उत्तर थाना मेरे घर से दस मिनट की दूरी पर पक्की सड़क पर है। बाजार में है। 20-07-16 को मैंने थाना उत्तर पर कोई रिपोर्ट नहीं की थी। मैं दिनांक 20-07-16 को एस०पी० साहब के पास आई थी। यह बात

सही है कि 17-07-16 की घटना व 20-07-16 की घटना का मेरे पास मेरे अलावा अन्य कोई गवाह नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि राजीव गौड़ के भाई बबलू गौड़ इन्द्रा नगर थाना रामगढ में रहते हैं या नहीं। दिनांक 17-07-16 की घटना में सरिता गौड़ ने भई ममेरे साथ मारपीट की थी। स्वयं कहा कि जाति सूचक शब्द कहे थे। यह बात सही है कि मैंने अपनी तहरीर में दिनांक 17-07-16 की घटना में पिंकी द्वारा जमीन पर गिराकर मारना पीटना लिखाया है। यह बात भी सही है कि मैं दिनांक 20-07-16 की घटना में सरिता गौड़ शामिल नहीं थी।----- मैं जब-जब अपने साथ बलात्कार होना कहती हूँ उस तथ्य का मेरे पास कोई डाक्टरी साक्ष्य नहीं है। पीड़िता द्वारा अन्य सुझाव से इंकार किया गया।

उल्लेखनीय है कि पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र 27 ब न्यायालय के समक्ष इस आशय का दिया गया कि उसके पिता वेदप्रकाश पुत्र हुकम सिंह आरोप पत्र में साक्षी संख्या दो हैं जो काफी वृद्ध है, चलने-फिरने में असमर्थ है तथा वह साक्ष्य देना नहीं चाहते हैं। साक्ष्य से उन्मोचित करने बाबत प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता द्वारा अपने पिता को भाई, भाभी अथवा आस-पड़ोस के किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 25-07-16 को जिला महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक डा० नीता गुप्ता द्वारा किया गया। पीड़िता को महिला का० मंजू थाना उत्तर द्वारा ले जाया गया था। पी०डब्लू० 3 डा० नीता गुप्ता के साक्ष्य में आया है कि पीड़िता अपने होशो हवास में थी। पीड़िता के गुप्तांगों पर बाल मौजूद थे। स्तन विकसित थे तथा कपड़े बदल कर आई थी। पीड़िता के आन्तरिक परीक्षण में हाइमन पुराना फटा हुआ था। अन्य कोई चोट के निशान नहीं थे। शुक्राणु के परीक्षण हेतु वैजाइनल स्मियर स्लाइड भेजा गया। बच्चेदानी की स्थिति जानने के लिए अल्ट्रासाउण्ड के लिए भेजा गया। पी०डब्लू० 3 द्वारा मेडिकल रिपोर्ट अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में

दिनांक 28-07-16 को तैयार की गयी। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार बच्चेदानी सामान्य थी। पैथालाजी रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। पी०डब्लू० 3 डा० नीता गुप्ता द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में कोई राय नहीं दी जा सकी। पूरक रिपोर्ट भी डा० नीता गुप्ता द्वारा तैयार की गयी है जो पत्रावली पर प्रदर्श क-6 है। पीड़िता एक तलाकशुदा महिला थी। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना पी०डब्लू० 4 श्री ओमकार यादव तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी। साक्ष्यों में आया है कि पीड़िता की निशानदेही पर उनके द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 तैयार किया गया तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त राजीव गौड़ की पत्नी सरिता गौड़, बबलू गौड़ तथा विजय गौड़ की नामजदगी गलत पायी गयी। अन्ततः आरोप पत्र मात्र अभियुक्त राजीव गौड़ के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर प्रदर्श क-8 है। प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि पीड़िता पहले से शादीशुदा और बच्चे वाली थी। पूरी विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया कि उसके पहले पति से तलाक हुआ था। पीड़िता का पता थाना उत्तर जलेसर रोड फिरोजाबाद पाया गया, जबकि अभियुक्त राजीव गौड़ का निवास स्थान किराये का मकान स्थित सुहाग नगर थाना दक्षिण फिरोजाबाद है। दोनों मकानों में दो किलोमीटर की दूरी है। विवेचना के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के पूर्व चार साल के अर्से में पीड़िता ने राजीव गौड़ के खिलाफ कोई शिकायत की हो। अग्रेतर पी०डब्लू० 4 विवेचक ने अपने साक्ष्यों में कहा कि कागज सं० 16 ब/9 NCR थाना उत्तर है। पीड़िता के पिता द्वारा पंजीकृत थाना उत्तर पर NCR करायी गयी है, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता दिनांक 14-06-11 को बतौर आशनाई राजीव गौड़ के साथ चली गयी। अग्रेतर यह भी कहा कि पीड़िता ने अपने बयानों में यह नहीं बताया था कि राजीव गौड़ ने उसे अपने साथ कब रखा और किस-किस स्थान पर किस-किस दिनांक, महीना, साल को उसके साथ

शारिरीक सम्बन्ध स्थापित किये ? इस मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25-07-16 की है। जबकि NCR दिनांक 14-06-11 की है। विवेचना में यह नहीं आया है कि पीड़िता दिनांक 14-06-11 के बाद कब अपने पिता के यहाँ आ गयी थी। NCR के दिनांक से रिपोर्ट के दिनांक के बीच पीड़िता ने अपने पता अपने पिता का घर ही बताया है। डा० साधाना राठौर को पी०डब्लू० 5 के रूप में परीक्षित किया गया है, जो दिनांक 26-07-16 को रेडियोलोजिस्ट के पद पर जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में तैनात थी। उस तिथि को उनके द्वारा पीड़िता का अल्ट्रासाउण्ड किया गया। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट MLPC No 402/16 दिनांकित 26-07-16 के अनुसार बच्चेदानी सामान्य पायी गयी। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट प्रदर्श क-9 को साक्षी ने साबित किया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता पी०डब्लू० 1 द्वारा दी गयी टाइपशुदा तहरीर के अनुसार अभियुक्त राजीव उर्फ पिंकी उसी के मौहल्ले अपनी माँ और भाई के साथ किराये के मकान में रहता था। पी०डब्लू० 1 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि राजीव गौड़ जिस मकान में रहता था उसके पास उसके बाबा का इंजन और फैक्ट्री है। आमने-सामने पीड़िता के परिवार का और अभियुक्त के किराये का मकान होना बताया गया। अभियुक्त को उसके परिवार वाले जानते थे। राजीव गौड़ कथित रूप से उसके घर स्कूटर खड़ा करने आते थे इसलिए पीड़िता उसे जानती थी। जब कभी अभियुक्त कथित रूप से स्कूटर खड़ा करने आता था तो पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत होती थी। कथित रूप से पीड़िता ने शादी होने के बाद राजीव गौड़ को जाना। पीड़िता के परिवार और राजीव गौड़ के परिवार से बिरादरी के आधार पर कभी कोई लड़ाई, झगड़ा या विवाद नहीं हुआ। पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि यह बात उसे पहले से पता नहीं चली कि राजीव गौड़ पर एक दस साल का बेटा है। पीड़िता यह बताने में असमर्थ रही कि उसे यह कब पता चला कि अभियुक्त राजीव

गौड़ के पास दस साल का बेटा है ? पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसे दूसरी शादी में 4-5 महीने के बाद पता चल गया था कि राजीव गौड़ शादीशुदा है। 2011 में उसे पता चल गया था कि राजीव गौड़ विवाहित है। दिनांक 17-07-16 को कथित रूप से पीड़िता को अभियुक्त द्वारा फोन से अपने घर बुलाया गया जहाँ पर अभियुक्त की पत्नी सरिता गौड़ मिली और जब पीड़िता ने राजीव गौड़ की पत्नी से बताना चाहा तो इस बात पर पीड़िता को जमीन पर गिरा दिया और गंदी-गंदी गालियां दी और लात, घूसों और थप्पड़ से मारापीटा। राजीव गौड़ की पत्नी सरिता गौड़ ने भी मारपीट की थी। पीड़िता के कथनानुसार उसे 17-07-2011 से पहले उसे ज्ञात नहीं था कि अभियुक्त विवाहित है। जबकि पीड़िता ने अपने टाइपशुदा तहरीर के प्रथम प्रस्तर में उल्लेख किया है कि अभियुक्त राजीव गौड़ अपनी माँ और भाई के साथ रहता था। पीड़िता का परिवार और अभियुक्त का परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में यह कहा कि वह इण्टर पास है तथा 06 साल से तलाकशुदा महिला के रूप में रह रही है। उसके पास एक आठ साल की बेटी भी थी। कथित रूप से झांसा देकर अभियुक्त उसके साथ यौन शोषण करता रहा। दिनांक 17-07-16 को शाम 05.30 बजे अभियुक्त ने उसे फोन से बुलाया और वह बिना परिवार वालों को सूचना दिये चली गयी। 2011 से पीड़िता अभियुक्त के सम्बन्ध में थी यह जानती थी कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं फिर भी वह कथित रूप बुलाने पर चली गयी। यह बात कदापि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि जब अभियुक्त शादीशुदा था तब बिना परिवार वालों को सूचना दिये हुए पीड़िता कैसे चली गयी ? चार सालों तक पीड़िता अभियुक्त के साथ अवैध सम्बन्धों में रही जबकि उस समय वह विवाहित थी और पूर्व पति से उसका कोई वैधानिक रूप से विवाह विच्छेद नहीं हुआ था। 17-07-2016 की घटना के सम्बन्ध में पीड़िता और उसके

परिवार वालों द्वारा कोई भी थाना पर रिपोर्ट नहीं की गयी, जबकि थाना कुछ ही दूरी पर स्थित था। पीड़िता की प्रथम शादी हाथरस में हुई और उससे कथित रूप से उसका तलाक हो गया था। न्यायालय के समक्ष बयान अंकित करते समय तक पत्रावली पर पति से हुए तलाक के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र नहीं पाया गया। पीड़िता ने तहरीर में यह भी नहीं लिखा कि उसकी पहली शादी राजेन्द्र प्रसाद नामक व्यक्ति से हुई और दूसरी शादी हरीशचन्द्र नामक व्यक्ति से हुई। पहली शादी 27-04-2003 में हुई और दूसरी शादी 14-06-11 को हुई। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 14-06-11 की शादी में कोई तलाक नहीं हुआ था। पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया कि उसका जुलाई 2011 से राजीव गौड़ से अवैध सम्बन्ध थे। उसने शादीशुदा होने की बात अभियुक्त राजीव गौड़ से बतायी थी। 'पीड़िता' ने यह स्वीकार किया कि सन् 2011 में उसका हरीशचन्द्र से तलाक नहीं हुआ। पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया कि हरीशचन्द्र नामक व्यक्ति से उसकी शादी राजीव गौड़ ने ही करायी थी। पीड़िता की शादी में अभियुक्त राजीव गौड़ भी सम्मिलित हुआ था और उसके घर वालों भी सम्मिलित हुए थे। हरीशचन्द्र और पीड़िता की शादी उसके पीड़िता के घर से हुई थी। राजीव गौड़ ने हरीशचन्द्र से शादी करने वाली बात पीड़िता के परिवार वालों को बतायी थी। पीड़ित ने अपनी तहरीर प्रदर्शक -1 में नहीं लिखा है कि उसकी दूसरी शादी राजीव गौड़ ने हरीशचन्द्र से करवायी थी। पीड़िता ने कहा "उसे एक साल बाद पता चला कि राजीव की बीवी है और घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी। पीड़िता द्वारा यह भी तथ्य प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि उसे अपनी दूसरी शादी के 4-5 महीने बाद पता चल गया था कि राजीव गौड़ शादीशुदा है। वह दूसरी शादी के केवल दो दिन तक अपने पति के साथ रही फिर वह राजीव गौड़ के साथ रही। पीड़िता ने यह भी कथन किया कि दो माह तक कोट में रही और एक साल तक नगला करन सिंह में रही। इस दौरान राजीव

गौड़ के साथ हँसी-खुशी रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाति के आधार पर उससे मारपीट की हो और वह थाने गयी हो। पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि उसके और राजीव गौड़ के सवा साल तक नजायज तौर पर साथ-साथ रहने पर कोई जानकारी घर वालों को नहीं हुई। उसको घर वालों ने नहीं खोजा क्योंकि वह भाग चुकी थी। कोई जानकारी परिवार वालों को नहीं हो पायी। अभियुक्त राजीव गौड़ के साथ भागने के सम्बन्ध में पीड़िता के कथनानुसार उसके घर वालों ने थाने पर NCR लिखायी गयी। इस बाबत पीड़िता ने उन्मोचन प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में दिया। उपरोक्त NCR सं० 89/12 अन्तर्गत धारा 498 भा०द०सं० पीड़िता के पिता द्वारा पंजीकृत करायी गयी थी। पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया पीड़िता को जब यह पता चला कि राजीव गौड़ शादीशुदा है तब उसने इस सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही नहीं की। इस सम्बन्ध में घरवालों से कोई शिकायत नहीं की, यह जानते हुए भी नहीं किया कि पीड़िता भी शादीशुदा है और राजीव गौड़ के साथ इसके पश्चात भी वह उसके साथ चली गयी। पीड़िता को यह ध्यान नहीं है कि वह किस तारीख को राजीव के साथ गयी। पूर्व पति से पीड़िता एक पुत्री भी जन्मी थी। जिस समय वह अभियुक्त के साथ गयी थी मायके में रह रही थी। फिर कहा कि राजीव के साथ ससुराल से गयी थी। विवेचक को यह नहीं बताया था कि पीड़िता राजीव के बुलाने पर अपनी ससुराल से गयी थी। अग्रेतर यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित बयान में यह नहीं बताया कि वह अपनी ससुराल से राजीव गौड़ के बुलाने पर स्वेच्छा से कोटा दो माह तक रही और उसके बाद नगला करन सिंह में एक साल तक रही। इस बीच पीड़िता के घरवालों ने उसकी तलाश नहीं किया। पीड़िता के अनुसार जब राजीव गौड़ ने उसे बुलाया तब वह अपने मायके वालों को बता कर नहीं गयी थी। 17-07-16 की घटना के कितने दिन पहले से वह अपने ससुराल वालों के

साथ रह रही थी यह भी बताने में असमर्थ रही। पीड़िता यह भी बताने में असमर्थ में रही कि वह एक साल से रह रही थी या पहले से थी। पीड़िता ने स्वयं कहा कि वह काफी समय पहले से रह रही थी। इस दौरान राजीव गौड़ अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था, किन्तु धमकी देकर पीड़िता को बुलाता था। स्वयं कहा कि मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत काम करता था और उसी घर में उसकी बीवी रहती थी। पीड़िता का उपरोक्त कथन कदापि विश्वसीनय नहीं है कि जहाँ पर कथित रूप से उसकी बीवी रहती रही हो वहां पर क्या पीड़िता को बुलाने का उपक्रम करता और उसके साथ बलात्कार सम्बन्धी कोई कार्य करेगा। पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा अपने गोदाम पर बुलाये जाने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया कि 17-07-16 से पहले से उसकी पत्नी से उसके घर पर कभी नहीं मिली। पीड़िता यह भी स्वीकार करती है कि घर पर व गोदाम पर जबरन बलात्कार करने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी। जब विवेचक द्वारा इस केस में बयान लिया गया उस समय भी नहीं बताया गया कि राजीव गौड़ समय-समय पर अपने गोदाम और हिमायूपुर के घर पर बुलाता था। यह भी नहीं बताया कि हिमायूपुर में बुलाकर बलात्कार करता था। मजिस्ट्रेट को भी बयान देते समय यह नहीं बताया कि अभियुक्त गोदाम और हिमायूपुर वाले मकान पर बुलाकर बलात्कार करता था। केवल बलात्कार करने वाली बात का कथन किया है। जिस दिन कथित रूप से हिमायूपुर वाले मकान में बुलाने की बात कही है उस दिन वह निकटम थाना दक्षिण में रिपोर्ट करने नहीं गयी और विवेचक को भी नहीं बताया कि अभियुक्त द्वारा रास्ता रोका गया हो। पीड़िता यह भी बताने में असमर्थ रही कि कथित रूप से बुलाने पर कब गोदाम पर गयी ? उसकी तिथि, महीना, साल बताने में असमर्थ रही। पीड़िता के अनुसार 20-07-16 की जो घटना है वह उसके पिता के घर की है उस समय उसके पिता, भाई, भाभी घर पर नहीं थे। आस-पड़ोस के किसी व्यक्ति ने 20-07-16 की घटना कारित करते हुए न

देखा न सुना। पड़ोस का कोई व्यक्ति नहीं आया था। उत्तर थाना मात्र उसके घर से 10 मिनट की दूरी पर है। जब पीड़िता को सन् 2011 में ही यह बात जानकारी में आ गयी थी कि अभियुक्त शादीशुदा है तब पति के जीवित रहते हुए पीड़िता कथित अभियुक्त राजीव गौड़ के साथ चली गयी और कोटा तथा नगला करन सिंह में रहती रही, जबकि उसके पास एक पुत्री भी थी। पीड़िता का यह कथन कि अभियुक्त अपने आपको अविवाहित बता कर शादी करने की बात कहता था कदापि विश्वसनीय और स्वीकार किये जाने वाला कथन प्रतीत नहीं होता है। पीड़िता एक शादीशुदा महिला थी वह अपने भलाई-बुराई समझने में सक्षम थी फिर भी उसने कथित रूप से अभियुक्त के साथ अवैध/विवाहेत्तर सम्बन्ध बनाये। अभियुक्त अपनी पत्नी और बच्चों समेत किराये के मकान पर रहता था, इसलिए पीड़िता का यह कहना कि 17-07-16 के पहले अभियुक्त की पत्नी से उसकी कोई भेंट नहीं हुई, अभियुक्त के विवाहित होने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी कदापि विश्वसनीय कथन नहीं प्रतीत होता है। कथित रूप से अभियुक्त चार साल तक उसका शोषण करता रहा फिर भी उसके द्वारा किसी सक्षम अधिकारी को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया और ना ही अपने परिवार वालों से बातों को साझा किया गया कि अभियुक्त उसे बुलाता है और शादी का झांसा देता है। दिनांक 17-07-16 को कथित अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बुलाये जाने का कथन विश्वसनीय एवं तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। मेडिकल रिपोर्ट में भी हाइमन पुराना फटा हुआ पाया गया। किसी भी प्रकार की कोई चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता का परिवार और अभियुक्त का परिवार एक दूसरे को पूर्व से जानते थे इसलिए पीड़िता के द्वारा यह कहा जाना कि अभियुक्त की पत्नी और बच्चों के सम्बन्ध में उसे जानकारी नहीं थी कदापि विश्वसनीय तर्क प्रतीत नहीं होता है। जिस समय कथित रूप से पीड़िता अभियुक्त के साथ रही उस समय तक अभियुक्त द्वारा उसके साथ जाति आधारित या किसी प्रकार की हिंसा

नहीं कारित की गयी। इतने लम्बे समय तक यदि अभियुक्त का अवैध सम्बन्ध यदि पीड़िता के साथ था, निश्चित रूप से ऐसे सम्बन्धों की भनक अभियुक्त के परिवार वालों को भी लग सकती थी तथा झांसा देकर और धमकी देकर यौन शोषण/बलात्कार किया गया, इस सम्बन्ध में न तो पीड़िता द्वारा कोई विधिक कार्यवाही की गयी और ना ही उसने इस बात को अपने परिवार वालों के साथ साझा किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम बार 25-07-16 को अंकित करायी गयी जबकि उससे पूर्व 17-07-16 की घटना का उस प्रार्थना पत्र में वर्णन है। यदि 10 जुलाई को सम्बन्धित थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया तब किन कारणों से किन परिस्थितियों में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा अंकित नहीं की गयी। इस बाबत कोई यथोचित कारण अभियोजन द्वारा दर्शित नहीं किया गया है। पीड़िता और कथित रूप से अभियुक्त शादीशुदा थे, इसलिए अभियुक्त द्वारा पीड़िता को कथित रूप से पत्नी बनाकर रखने का आश्वासन का कदापि विश्वसनीय एवं तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। जब अभियुक्त के शादीशुदा होने के सम्बन्ध में पीड़िता को ज्ञान हो गया तब किन परिस्थितियों में अभियुक्त के बुलाने पर गयी और सम्बन्ध बनाये। यदि उसके साथ बलात्कार किया गया तब उसने तत्काल कोई कार्यवाही क्यों नहीं किया ? जबकि वह इण्टर तक पढी लिखी महिला है। सवा साल तक कथित रूप से नाजायज सम्बन्ध के बने रहने पर परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं हुई। विवेचक के साक्ष्य में आया है कि पीड़िता की आशनाई के कारण उसके पिता द्वारा अन्तर्गत धारा 498 भा०दं०सं० की संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट (NCR) दर्ज करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे पीड़िता के तलाकशुदा होने का तथ्य प्रमाणित हुआ हो। अग्रेतर विवेचना में यह भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के चार साल पूर्व की अवधि में पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ कभी कोई शिकायत की हो। इसके

अतिरिक्त पीड़िता यह भी बताने में असमर्थ रही कि अभियुक्त उसे अपने घर और गोदाम पर कब-कब, किस दिन, किसी महीना में बुलाया और बलात्कार किया। पीड़िता द्वारा विवेचक को यह नहीं बताया गया है, अभियुक्त ने कथित रूप से पीड़िता को कहां रखा किस-किस स्थान पर, किस-किस महीना और साल उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे। मेडिकल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका है कि कथित रूप से पीड़िता के ससुराल से चले जाने के उपरान्त उसके दूसरे पति हरीशचन्द्र द्वारा विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में अथवा पीड़िता के सम्बन्ध कोई वैधानिक कार्यवाही की गयी। पीड़िता के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी यथा भाई, भाभी आदि को अभियोजन द्वारा इस सम्बन्ध में परीक्षित नहीं किया गया है कि क्या अभियुक्त और पीड़िता के कोई अवैध सम्बन्ध थे अथवा नहीं थे ? अभियुक्त अपनी पत्नी, बच्चों तथा माँ के साथ किराये पर रहता था इसमें कोई संदेह नहीं है, किन्तु पत्नी के रहते हुए यह स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति किसी महिला को अपने निवास स्थान पर बुलाकर उसके साथ कोई शारीरिक सम्बन्ध बनाने की चेष्टा करेगा। पीड़िता ने अपने बयान के पृष्ठ 12 पर यह स्वीकार किया है कि वह राजीव गौड़ के साथ अपनी मर्जी से गयी थी। पीड़िता शादीशुदा और बच्चे वाली होने के उपरान्त भी स्वेच्छा से घर छोड़कर चली जाती थी। इसलिए उसके परिवार वालों ने उसे खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। पीड़िता द्वारा कथित रूप से अभियुक्त के साथ हँसी-खुशी रहने का कथन किया गया है। जाति आधारित कोई भी हिंसा अथवा अपराध कारित किया जाना भी साक्ष्यों से परिलक्षित नहीं होता है। अस्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधान प्रस्तुत मामले में आकृष्ट नहीं होते हैं। पीड़िता की जाति सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र एकत्र नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा कथित रूप से यह कहा

जाना कि वह पीड़िता को बतौर पत्नी रखेगा कदापि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि राजीव गौड़ शादीशुदा था और उसकी पत्नी जीवित थी और पीड़िता का पूर्व पति से कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ। इसलिए उसे बतौर पत्नी रखने के लिए अर्ह नहीं था। तहरीर प्रदर्श क- 1 में पीड़िता ने पूर्व पति से एक पुत्री के बाबत होने का कोई कथन नहीं किया है और उसने यह भी बताने का प्रयास नहीं किया है कि वह अभियुक्त को कब से और किस प्रकार से जानती थी। दिनांक 17-07-16 को पीड़िता द्वारा अकेले अभियुक्त के घर जाना कहा गया जहाँ पर सरिता गौड़ और राजीव गौड़ मिले। कथित रूप से उसे मारापीटा गया और गाली-गलौज की गयी। कथित रूप से पीड़िता द्वारा शोर मचाया गया किन्तु किसी ने नहीं सुना। चश्मा टूट गया, किन्तु चश्में को विवेचक को उपलब्ध नहीं कराया गया। 20-07-16 को अभियुक्त राजीव गौड़, बबलू गौड़ और विजय गौड़ द्वारा पीड़िता के घर जाकर धमकी देने का आरो लगाया गया, किन्तु इस सम्बन्ध में उसके परिवार के किसी सदस्य को परीक्षित नहीं कराया गया। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 में यह कहा कि जब उसके घर वालों को यह पता चला कि अभियुक्त राजीव गौड़ की बीवी है तो घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कगर दी। जिस समय वह घर से विदा होकर निकल थी उस समय राजीव गौड़ ने पीड़िता के पति से कह दिया था कि वह बदचलन है और उसके पीड़िता के सम्बन्ध हैं। पीड़िता ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसके पति ने छोड़ दिया था और राजीव गौड़ ने उसे रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त पीड़िता से यह भी प्रश्न पूछा गया कि जब उसे मारापीटा गया तो क्या वह थाना गयी थी ? इसके उत्तर में कहा कि वह थाना नहीं गयी थी और ना ही कोई सूचना दी थी। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को गंदी-गंदी गालियां दिये जाने, मारे पीटे जाने और उसके साथ बलात्कार किया जाना कदापि साक्ष्यों से सिद्ध नहीं है। धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान में भी पीड़िता ने यह इंगित नहीं

किया गया कि अभियुक्त उसके साथ बलात्कार कहाँ, किस स्थान पर, किस महीने में किया। शादीशुदा होने की जानकारी होने पर कथित रूप से पीड़िता ने मना किया, किन्तु यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि शादी के कुछ महीने बात उसे ज्ञात हो गया था फिर भी वह अभियुक्त के बुलाने पर चली गयी, यह कदापि स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है।

उपरिवर्णित साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा टाइपशुदा प्रार्थना पत्र में 17-07-16 और 20-07-16 की कथित घटना के अतिरिक्त चार साल पूर्व से यौन शोषण करने के आरोप लगाये गये हैं। चार सालों तक पीड़िता द्वारा कोई भी विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। दिनांक 17-07-16 के सम्बन्ध में भी कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी। 20-07-16 की कथित घटना के उपरान्त पाँच दिनों तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराया जाना अथवा दर्ज न करना यह इंगित करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त पंजीकृत कराने के उद्देश्य से टाइपशुदा प्रार्थना पत्र दिया गया। अनुचित विलम्ब का कोई संतोषजनक उत्तर अभियोजन द्वारा नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि पीड़िता की दो शादियां हुई थी, एक शादी हाथरस में हुई थी और दूसरी शादी फिरोजाबाद जनपद में हुई। उक्त दोनों शादियों के विच्छेदित होने का कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि पीड़िता ने 06 साल से तलाकशुदा होने का कथन अपनी तहरीर प्रदर्शक-1 में किया। इसके अतिरिक्त उसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि वह अभियुक्त के साथ कोटा और नगला करन सिंह में भी रही। जबकि उसकी एक पुत्री भी थी। अभियुक्त विवाहित था और सपरिवार किराये पर निवास करता था। जहाँ पर भरा पूरा परिवार रहता हो, वहाँ पर किसी अमुक महिला को बुलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना कदापि स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया कि चार सालों तक उसके द्वारा कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं की गयी और ना ही कोई कार्यवाही की गयी। पीड़िता

और अभियुक्त एक-दूसरे को जानते-पहचानते थे, यहाँ तक कि पीड़िता की दूसरी शादी अभियुक्त राजीव गौड़ ने करवायी थी। पीड़िता द्वारा साक्ष्यों में यह कहा गया कि जब दूसरी शादी में विदा होकर जा रही थी, उसी समय अभियुक्त द्वारा पीड़िता के बदचलन होने की बात उसके पति से कही गयी और तभी से उसे दूसरे पति ने छोड़ दिया। दिनांक 17-07-16 को मोबाइल से बुलाने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यदि 2011 से पीड़िता को यह पता चल गया था कि अभियुक्त विवाहित है तो किन परिस्थितियों में उसके द्वारा निरन्तर सम्बन्ध बनाये जाते रहे। पीड़िता के विवाहेत्तर सम्बन्धों के बनाये जाने और दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाने के क्रम में पीड़िता के पिता द्वारा धारा 498 भा०दं०सं० के अन्तर्गत असंज्ञेय अपराध (NCR) की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। अभियोजन द्वारा यह कदापि सिद्ध नहीं किया जा सका कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कोई बलात्संग किया गया हो। पीड़िता के कथनों को यदि प्रथम दृष्टया स्वीकार भी कर लिया जाये तब भी उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता द्वारा स्वेच्छा और सम्मति से सम्बन्ध बनाये गये, उसे किसी प्रकार का झांसा नहीं दिया गया, यद्यपि कि अभियुक्त ने समस्त आरोपों का खण्डन किया है। 17-07-16 और 20-07-16 की घटना के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, यहाँ तक कि पीड़िता ने अपने पारिवारिक सदस्यों को साक्षी के रूप में पेश नहीं किया जा सका। अस्तु मारपीट करने, स्वेच्छया उपहति कारित करने, चश्मा तोड़ डालने और आपराधिक अभित्रास करने और बलात्कार जैसे आरोपों को विश्वसनीय एवं अकाट्य साक्ष्यों के आलोक में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को न तो कोई शारीरिक पीड़ा पहुँचाई गयी और उसे गाली-गलौज देकर अपमानित किया गया और ना ही जाति सूचक गालियां दी गयी। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कोई

आपराधिक अभिवास भई नहीं किया गया और ना ही ऐसा कोई सम्पत्ति नष्ट की गयी जिसका आरोप अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया जाना साक्ष्यों के आलोक में सिद्ध नहीं है और इस प्रकार अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया कि जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त ने कोई अपराध यह जानते हुए किया हो कि पीड़िता अनुसूचित जाति सदस्य हो। दूसरे शब्दों में अभियोजन अभियुक्त राजीव गौड़ के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323,376,427,504,506 भा०द०सं० सपठित धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन कथानक में संदेह के बादल विद्यमान है। अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण सं० 3964/2016, राज्य बनाम राजीव गौड़ में अभियुक्त **राजीव गौड़** को लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 323, 376, 427, 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(2) (V), एस०सी०/एस०टी० एक्ट से उपरोक्त कारणों के आलोक में दोषमुक्त किया जाता हैं।

अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त की जमानतें और बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा 437A द०प्र०सं० के अनुपालन में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 12.01.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 3964/2016
UPFD010096842016
राज्य बनाम राजीव गौड़
मु०अ०सं०-969/2016,
घारा- 323,376,504,427 भा०द०सं०,
व घारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना- उत्तर, जिला-फिरोजाबाद

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 12.01.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
फिरोजाबाद।

ID NO UP6193